

Case name

Shreya Singhal v. Union of India (2015) 10 SCC 459 (2015)

Case

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66ए की संवैधानिकता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का नर्णय।

Brief Summary

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66ए असंवैधानिक है क्योंकि यह संवधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है। यह धारा अस्पष्ट, मनमाना और अनुचित पाई गई और इसे बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अनुचित रूप से बाधित करने वाला माना गया। अदालत ने केरल पुलिस अधिनियम, 2011 की धारा 118 (डी) को भी असंवैधानिक करार देते हुए खारजि कर दिया।

Main Arguments

याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत मुख्य तर्क यह था कि आई. टी. अधिनियम की धारा 66ए असंवैधानिक है क्योंकि यह संवधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) का उल्लंघन करती है। उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि धारा 66ए सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और आपतजनक सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक है। अदालत याचिकाकर्ताओं से सहमत थी कि धारा 66ए असंवैधानिक है, इसकी अस्पष्टता और मनमानेपन का हवाला देते हुए।

Legal Precedents or Statutes Cited

- भारत के संवधान का अनुच्छेद 14, 19 (1) (ए) और 19 (2).-सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 ए, 69 ए और 79.-केरल पुलिस अधिनियम, 2011 की धारा 118 (डी)। सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दशानर्देश) नियम 2011।

Quotations from the court

- धारा 66ए स्पष्ट रूप से मनमाना है और भारत के संवधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। "-" धारा 66ए अस्पष्ट है और अनिश्चितता के दुष्प्रभाव से ग्रस्त है। धारा 66ए असंवैधानिक है क्योंकि यह बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अनुचित रूप से बाधित करती है।

Present Court's Verdict

अदालत ने कहा कि आईटी अधिनियम की धारा 66ए असंवैधानिक है और इसे लागू नहीं किया जा सकता है। अदालत ने केरल पुलिस अधिनियम, 2011 की धारा 118 (डी) को भी असंवैधानिक करार देते हुए खारज कर दिया। अदालत ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए और सूचना प्रौद्योगिकी (हस्तक्षेप, नगरानी और सूचना के डिक्लिप्शन के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा) नियम, 2009 की संवैधानिकता को बरकरार रखा।

Conclusion

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भारत में बोलने और अभिव्यक्ति की ऑनलाइन स्वतंत्रता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। आई. टी. अधिनियम की धारा 66ए को नरिस्त करने के अदालत के फैसले को ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थकों की जीत के रूप में देखा गया है, जबकि अदालत द्वारा आई. टी. अधिनियम की धारा 69ए और 2009 के नियमों को बरकरार रखने को एक समझौते के रूप में देखा गया है। फैसला यह सुनिश्चित करने के महत्व पर भी प्रकाश डालता है कि ऑनलाइन भाषण को वनियमिति करने वाले कानून स्पष्ट और उचित हैं।